an>

Title: Need for an action plan and to constitute a separate task force to check of human trafficking of minor boys/girls.

श्री ओम बिरला (कोटा) : अध्यक्ष जी, भारत में नाबालिग लड़के-लड़कियों के लापता होने और उनके अपहरण की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जो संपूर्ण समाज के लिए चिंताजनक है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो अकेले वर्ष 2009 से 2011 तक देश में 2 लाख 36 हजार 14 बच्चे गायब होने की सूचना है जिसमें से 75,808 बच्चे अभी तक लापता हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश में बच्चों के लापता होने की घटनाओं में वृद्धि मानव तस्करी के बड़े रेकेट्स के संचालन का अंदेशा पैदा करती है। लापता बच्चों के ज्यादातर मामलों में स्थानीय पुलिस का रवैया संवेदनशील नहीं होता। प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेना भी उक्त समस्या को बढ़ाता है। इनकी एफआईआर दर्ज होती है। केवल गुमशुदगी रपट डाल दी जाती है। यूएन की रिपोर्ट में है कि भारत मानव तस्करी का बड़ा बाजार बन चुका है।

ऐसी स्थिति में मेरी मांग है कि लापता बच्चों की खोज व मानव तस्करों के घृणित अपराध को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यनीति व पृथकता से वर्कफोर्स गठित की जाए जो नाबालिग बच्चों के लापता होने की घटनाओं की सूक्ष्मता से जांच करके मानव तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकें।